

कार्यालय नगर पालिका परिषद, हाथरस

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, हाथरस के पंजीकृत एवं वर्ष 2016-17 के लिए नवीनीकृत ठेकेदारों से अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न कार्य हेतु प्रतिषत के आधार पर सील बंद निविदाएं दिनांक 14.06.16 को अपराह्न 2.00 बजे से 3.00 बजे तक कार्यालय अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय कलैक्ट्रेट हाथरस पर आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें निर्धारित दिनांकों को ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र/बिल ऑफ क्वान्टिटी निविदा सूचना प्रकाशित होने के बाद धरोहर धनराशि निर्माण अनुभाग जमा करने के उपरांत किसी भी कार्यशील दिवस में निर्धारित मूल्य पालिका कोश/पालिका के बैंक ऑफ बडौदा, शाखा चक्की बाजार, हाथरस में संचालित खाता संख्या 26870100003660 एवं कलैक्ट्रेट के नजारत अनुभाग में जमा करके क्रय की जा सकेगी। धरोहर राशि उसकी एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जोकि अधिषासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद हाथरस के नाम बंधक होगी, ही मान्य होगी। बिल ऑफ क्वान्टिटी दिनांक 13.06.16 तक ही क्रय की जा सकेगी। नियत तिथि/समय बाद प्राप्त होने वाली किसी भी निविदा पर विचार नहीं होगा। ठेकेदार को स्वीकृत कार्य का नियमानुसार निर्धारित राजकीय स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा और उससे नियमानुसार आयकर, व्यापार कर व रायल्टी आदि की कटौती होगी। सषर्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा सूचना जिले की वेबसाइट, जिला वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं में निहित होगा।

विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर धनराशि	निविदा का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	मधुगढी रोड पर आगरा रोड से मथुरा रोड तक सडक निर्माण कार्य।	7350600.00	735000.00	7000.00	तीन माह

अन्य शर्त :-

- (1) षासनादेशों के अनुपालन में जिन ठेकेदारों/निविदादाताओं की निविदा की दरें 15 प्रतिषत से अधिक न्यून (ब्लो) प्राप्त होंगी वह स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
- (2) षासनादेशों के अनुपालन में न्यून (ब्लो) दरें देने वाले निविदादाताओं से अतिरिक्त परफोमेन्स सिक्योरिटी, 10 प्रतिषत तक कम दर पर 0.50 प्रतिषत प्रति 1 प्रतिषत कम दर के हिसाब से तथा 10 प्रतिषत से अधिक कम दर पर देने वाले निविदादाताओं से 1 प्रतिषत प्रति 1 प्रतिषत के हिसाब से ली जायेगी।
- (3) ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के उपरांत उ0प्र0 भवन निर्माण एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 एवं उ0प्र0 नियमावली 2009 के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- (4) निविदा आमंत्रण में केवल वही ठेकेदार/फर्म भाग ले सकेगी जिनके पास पालिका द्वारा निर्गत पहचान पत्र अथवा प्रतिनिधि (केवल एक) के लिये ठेकेदार/फर्म द्वारा अधिकृत पत्र होगा।
- (5) एक से अधिक सामान दर की निविदाएं प्राप्त होने की दषा में निविदाओं का निस्तारण उपस्थित ठेकेदारों/प्रतिनिधियों के समक्ष लाटरी पद्धति द्वारा किया जायेगा, जो ठेकेदारों/निविदादाताओं का मान्य होगा।

(बालकृष्ण कुम्हेरिया)
माहौर)
अधिषासी अधिकारी

(डौली)
अध्यक्ष

पत्रांक :- 163/नि0अनु0/2016-17

दिनांक :- 01.

06.16

प्रतिलिपि :-

1. सम्पादक दैनिक जागरण एवं डी0एल0ए0 को इस आषय से एक दिन प्रकाशित करने हेतु कि आनवष्यक स्थान न धेरा जाये और दरें सरकारी लगाई जाये। बिल जिला सूचना अधिकारी से रेट सत्यापित कराके ही प्रस्तुत किया जाये।
2. आयुक्त महोदय, अलीगढ मण्डल, अलीगढ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेशित।
3. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, कलैक्ट्रेट हाथरस की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हाथरस को सूचना जिले की वेबसाइट पर प्रस्तुत करने हेतु।
5. षाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, हाथरस को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।
6. नाजिर सदर, नजारत अनुभाग, कलैक्ट्रेट हाथरस को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।
7. रिकॉर्ड कीपर/खजांची को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

8. लेखाकार/लिपिक ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण को इस आदेश के साथ कि वे पंजीकृत व नवीनीकृत समस्त ठेकेदारों को फोटो परिचय पत्र टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने जारी करायें।
9. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।
10. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।